अलवर : निजी स्कूल बस की टक्कर से दूध कारोबारी गंभीर घायल

हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया।

अलवर(निसं)। शहर के अरावली विहार थाना क्षेत्र में जयपुर रोड स्थित जयंती फार्म हाउस के पास सड़क हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक दिन पहले इसी स्थान पर रोडवेज बस की टक्कर से एक अध्यापिका की मौत हो गई थी। वहीं, गुरुवार को एक और हादसे में निजी स्कूल बस की टक्कर से दूध का कारोबार करने वाले बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया। जगदीश नाम के बुजुर्ग सड़क से गुजर रहे थे। इसी दौरान एक निजी स्कूल बस ने उन्हें पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने उन्हें उपचार के लिए अलवर के जिला अस्पताल पहुंचाया। उनकी गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जयपुर रेफर कर दिया। लगातार हो रहे सड़क हादसों से नाराज स्थानीय लोगों ने मौके पर जाम लगा दिया और सड़क पर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं होने पर रोष जताया। लोगों का कहना था कि एक दिन पहले इसी जगह हुए हादसे में अध्यापिका की जान चली गई थी।

भरतपुर : पंचायत चुनावों के मद्देनजर जिलेभर में पुलिस का व्यापक फ्लैग मार्च

भरतपुर (निसं)। जिले में शांति, सौहार्द एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने तथा पंचायत चुनावों को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से भरतपुर पुलिस पूरी तरह सतर्क एवं मुस्तैद है। जिलेभर में सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए पुलिस अधिकारियों द्वारा लगातार व्यापक स्तर पर फ्लैग मार्च, पुलिस गश्त, पैदल मार्च, सघन चेकिंग एवं निगरानी अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में जिला पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार मीना के निर्देशन में आगामी पंचायत चुनावों के मध्यनजर आदर्श आचार संहिता की पालना, जिले में सुरक्षा व्यवस्था तथा पंचायत चुनावों को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त वातावरण में सम्पन्न कराने के उद्देश्य से जिलेभर में ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस अधिकारियों एवं जवानों द्वारा व्यापक पैदल फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च के माध्यम से आमजन में सुरक्षा की भावना मजबूत करने, कानून-व्यवस्था के प्रति पुलिस की प्रतिबद्धता प्रदर्शित करने तथा असामाजिक एवं शरारती तत्वों को स्पष्ट संदेश देने का प्रयास किया गया कि जिले में शांति व्यवस्था भंग करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

आदर्श आचार संहिता की पालना एवं सुरक्षा व्यवस्था हेतु जिलेभर में पुलिस अधिकारियों एवं जवानों ने फ्लैग मार्च निकाला।

■ असामाजिक तत्वों एवं कानून-व्यवस्था प्रभावित करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

आमजन में सुरक्षा का विश्वास कायम करने का प्रयास: जिलेभर में आयोजित फ्लैग मार्च का मुख्य उद्देश्य आदर्श आचार संहिता की पालना, जिले में चुनाव प्रक्रिया के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखना, आमजन एवं मतदाताओं में पुलिस एवं प्रशासन के प्रति विश्वास को मजबूत करना, चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली किसी भी अवैध या असामाजिक गतिविधि पर प्रभावी नियंत्रण एवं पंचायत चुनावों को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त वातावरण में सम्पन्न कराना तथा यह संदेश देना रहा कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है।

चुनाव क्षेत्रों में लगातार पुलिस की निगरानी: जिला पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार मीना ने बताया कि पंचायत चुनावों को लेकर जिला पुलिस द्वारा चुनाव क्षेत्रों में लगातार फ्लैग मार्च, सघन नाकाबंदी एवं प्रभावी गश्त की जा रही है। पुलिस अधिकारियों द्वारा संवेदनशील एवं अतिसंवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है तथा पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की जाकर, पंचायत क्षेत्रों एवं ग्रामीण इलाकों में पुलिस गश्त को बढ़ाया गया है। साथ ही जिला पुलिस टीमों द्वारा प्रमुख मार्गों, नाकों, चौराहों एवं संवेदनशील स्थानों पर संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की सघन जांच की जा रही है।

जांगिड़ ब्राह्मण समाज के विवाह सम्मेलन की कार्यकारणी घोषित

निवाई(निसं)। अखिल भारतीय जांगिड़ ब्राह्मण महासभा एवं विकास समिति के संयुक्त तत्वावधान में सामूहिक विवाह सम्मेलन की तैयारियों को लेकर भगवान विश्वकर्मा मंदिर में जांगिड़ समाज के अध्यक्ष कन्हैयालाल जांगिड़ सीरस एवं समिति अध्यक्ष राधेश्याम जांगिड़ हरभगतपुरा की अध्यक्षता में समाज की बैठक आयोजित हुई। जिसमें सर्व सम्मति से सामूहिक विवाह सम्मेलन की कार्यकारणी घोषित की गई। कार्यकारी अध्यक्ष कैलाशचन्द जांगिड़ ने बताया कि बैठक में सम्मेलन अध्यक्ष सीताराम जांगिड़ लूहारा ने सामूहिक विवाह सम्मेलन की कार्यकारिणी के गठन को लेकर प्रस्ताव रखा। जिस पर सर्वसम्मति से कार्यकारिणी का विस्तार किया गया। उन्होंने बताया कि कार्यकारणी में महामंत्री के पद पर शशिकांत जांगिड़ मोहम्मदगढ व लल्लूलाल जांगिड़ पहाड़ी, मंत्री सुरेश जांगिड़ सिरोही व राधा मोहन जांगिड़ मनोहरपुरा आदि।

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-1, जतिप्रा, जयपुर

क्रमांक: 90AJDA/2025-26/100495 लोक सूचना दिं.: 11.10.2026

श्री Ram Saran Dosaya पुत्र श्री Ramshwar dosaya जाति Chippa निवासी Dosaya Farm house Near Takiya Bus Stand Bagru Rawan Jaipur, श्री Purushottam Dosaya पुत्र श्री Ramshwar dosaya जाति Chippa निवासी Dosaya Farmhouse Near Takiya Bus Stand Bagru Rawan Jaipur श्री Ram Saran Dosaya पुत्र श्री Ramshwar dosaya जाति Chippa निवासी Dosaya Farmhouse Near TakiyaBus Stand Bagru Rawan Jaipur ने इस कार्यालय में पीपी प्रतिस्थापन पूर्ति का पार्ट सुलभ प्रपोजल के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के आवंटन अभिप्राप्ति अधिकारी के निर्धारण के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है अर्थात्

क्र. सं.	उप तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	रकबा के अनुपात हिस्से	वर्तमान दर	विनिमय राशि
1	कानोता, सांगानेर जयपुर	1.) पुष्पलता दोसाद पुत्र रामेश्वर दोसाद हिस्सा 1/2 जाति चीपा (छीपा) का खेड़ खातेदार 2.)रामेश्वर दोसाद पुत्र रामेश्वर दोसाद हिस्सा 1/2 जाति चीपा (छीपा) का खेड़ खातेदार	3929	0.510000	0.51
			कुल्ल		0.51

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू राजस्व (आवंटन, प्रबंधन एवं निपटान) नियम, 1955 की धारा 63 के अधीन प्रतिकूल दावा है तो वह अपना दावा इस सूचना के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर लिखित आपत्ति SSO टी के ऑफिस द्वारा जेडीए के SO-A मोहल्ला अलवर में (https://jda.rajasthan.gov.in) का विज़िट के लिखित आपत्ति दर्ज करा सकता है। Option में उपलब्ध है। यदि कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है तो समझा जाएगा कि किसी को कोई आपत्ति नहीं है और तदनुसार कार्यवाही की जाएगी। सहायक अभियंता (सी.ए.), सीए, जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत-तृतीय

जे.एल.एन. मार्ग, जवाहर सर्किल के पास, जयपुर-0141-4901853

क्रमांक-3653 दिनांक-22/10/26

आम जाहिर सूचना राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर द्वारा कार्यालय आदेश कमांक 2435 दिनांक 21/09/2007 जारी कर फ्लैट संख्या-35/ग/3 (भूतल) ज्योति नगर, जयपुर का हस्तान्तरण श्री चन्द्रकान्त गर्ग पुत्र स्व. श्री पूरण चन्द गर्ग के पक्ष मे किया गया था। श्री चन्द्रकान्त गर्ग की मृत्यु दिनांक 20/11/2025 को हो जाने के कारण उनकी पत्नी श्रीमती शशि प्रभा गर्ग पत्नी स्व. श्री चन्द्रकान्त गर्ग के द्वारा आवेदन पत्र के साथ जमा प्रभासनिक शुल्क की छाया प्रति, शपथ पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र की छाया प्रति एवं रजिस्टर्ड हकत्याग की छाया प्रति प्रस्तुत कर उक्त फ्लैट का हस्तान्तरण अपने पक्ष में करने का निवेदन किया गया है। अतः उक्त फ्लैट के हस्तान्तरण के संबंध मे किसी भी व्यक्ति / बैंक / संस्था को कोई आपत्ति हो तो विज्ञिप्त प्रकाशन के 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय मे व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर साक्ष्य सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवे, अन्यथा उक्त अवधि मे कोई आपत्ति प्राप्त नही होने पर उक्त आवेदनकर्ता श्रीमती शशि प्रभा गर्ग पत्नी स्व. श्री चन्द्रकान्त गर्ग के पक्ष मे फ्लैट के हस्तान्तरण की कार्यवाही करदी जावेगी।

सम्पदा प्रबन्धक, वृत तृतीय, रा.आ. मण्डल, जयपुर

नगर निगम जयपुर

(प. दीनदयाल उपाध्याय भवन, लालकोठी, टोंक रोड, जयपुर-15)

क्रमांक : एच-6 () आ.राज. द्वितीय (सा.प्र.) / ननिज./2026/945

सार्वजनिक विज्ञप्ति दिनांक-22/10/26

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता हैं कि नगर निगम जयपुर के क्षेत्राधिकार मे स्थित इन्द्रा कॉलोनी लेबर कॉलोनी, योजना, जयपुर के भूखण्ड संख्या 129 इन्द्रा कॉलोनी बनीपार्क, जयपुर क्षेत्रफल 266.66 वर्गगज का पट्टा अरबन इम्प्रुवमेंट बोर्ड द्वारा श्री प्रभाती लाल पुत्र श्री द्योनारायण के नाम से जारी किया गया था। अब उक्त भूखण्ड संख्या 129 इन्द्रा कॉलोनी बनीपार्क, जयपुर क्षेत्रफल 266.66 वर्गगज का विभिन्न पंजीकृत/अपंजीकृत श्रृंखलाबद्ध दस्तावेजो के आधार पर नाम हस्तान्तरण श्रीमती रितु शर्मा पत्नि श्री मुकेश शर्मा निवासी 129 इन्द्रा कॉलोनी बनीपार्क, जयपुर दूरभाष नं. 9829011357 के द्वारा चाहा गया है। अतः भूखण्ड संख्या 129 इन्द्रा कॉलोनी बनीपार्क, जयपुर क्षेत्रफल 266.66 वर्गगज का नाम हस्तान्तरण पत्र/पुर्नगठन श्रीमती रितु शर्मा पत्नि श्री मुकेश शर्मा निवासी 129 इन्द्रा कॉलोनी बनीपार्क, जयपुर, जयपुर के पक्ष मे किये जाने बाबत किसी भी व्यक्ति, संस्था, फर्म, कम्पनी अथवा अन्य हितसम्बद्ध व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय: उपायुक्त, राजस्व द्वितीय, कक्ष सं. 227 प्रथम तल, नगर निगम जयपुर मुख्यालय, लाल कोठी जयपुर मे प्रस्तुत करें अन्यथा निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद नियमानुसार उक्त भूखण्ड का नाम हस्तान्तरण पत्र / पुर्नगठन जारी किये जाने की कार्यवाही सम्पादित कर ली जावेगी।

उपायुक्त (राजस्व द्वितीय) नगर निगम जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत-प्रथम, प्रताप नगर, जयपुर

क्रमांक :- 4373 दिनांक :- 21/10/26

जाहिर आम-सूचना राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर, सांगानेर योजना मे आवास संख्या 192/238 (MIG-A), (एरिया 114.000 वर्गमीटर) प्रताप नगर, सांगानेर का आवंटन श्रीमती मधु शर्मा पत्नी श्री सुरेश शर्मा को किया जाकर आवंटन पत्र क्रमांक 563 दिनांक 28.02. 2005 को जारी किया गया। श्रीमती मधु शर्मा के पक्ष मे उक्त आवास के पंजीयन प्रपत्र दिनांक 31.03.2005 को उप पंजीयक सांगानेर, जयपुर के यहां पंजीकृत करवाये गये। श्रीमती मधु शर्मा द्वारा उक्त आवास को दिनांक 29.11.2010 के द्वारा श्री अरुण कुमार अग्रवाल पुत्र श्री ओम प्रकाश अग्रवाल को विक्रय कर उप पंजीयक सांगानेर प्रथम, जयपुर के यहां विक्रय पत्र का पंजीकृत करवाया गया। श्री अरुण कुमार अग्रवाल के आवंटन पर कार्यालय आदेश क्रमांक 1553 दिनांक 18.01.2011 द्वारा नाम दर्ज किया गया। श्री अरुण कुमार अग्रवाल द्वारा उक्त आवास को दिनांक 23.01.2020 के द्वारा 1. श्रीमती उर्मिला गुप्ता पत्नी श्री मनसुख लाल गुप्ता एवं 2. श्री मनसुख लाल गुप्ता पुत्र श्री कपूर चन्द गुप्ता को विक्रय कर उप पंजीयक चतुर्थ, जयपुर के यहां विक्रय पत्र का पंजीकृत करवाया गया। केता / केती 1. श्रीमती उर्मिला गुप्ता पत्नी श्री मनसुख लाल गुप्ता एवं 2. श्री मनसुख लाल गुप्ता पुत्र श्री कपूर चन्द गुप्ता द्वारा आवासन मण्डल मे उक्त आवास के रिकॉर्ड मे अपना नाम दर्ज कराने बाबत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण बाबत किसी व्यक्ति / पक्षकार को कोई आपत्ति हो तो अधोहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय मे 7 दिवस मे अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकॉर्ड मे नाम दर्ज करने मे किसी को कोई आपत्ति नहीं है, 1. श्रीमती उर्मिला गुप्ता पत्नी श्री मनसुख लाल गुप्ता एवं 2. श्री मनसुख लाल गुप्ता पुत्र श्री कपूर चन्द गुप्ता का नाम मण्डल रिकॉर्ड मे दर्ज कर दिया जावेगा।

सम्पदा प्रबन्धक, वृत-प्रथम, राज. आवा. मण्डल, जयपुर

(रजि. नं. 2511/एल दिनांक 26.10.1970)

जयपुर वाल्मिकी गृह निर्माण सहकारी समिति लि., जयपुर

कार्यालय : 33, जोशी कॉलोनी, टोंक फाटक, जयपुर

क्रमांक : एसपी-1 दिनांक : 14.10.2026

वार्षिक आम सभा का नोटिस

जयपुर वाल्मिकी गृह निर्माण सहकारी समिति लि. जयपुर के सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 02.11.2026 को प्रातः 11:30 बजे सोसायटी के कार्यालय- 33, जोशी कॉलोनी, टोंक फाटक, जयपुर पर सोसायटी के सदस्यों की वार्षिक आम सभा आयोजित की जाएगी जिसके विचारणीय विषयबिन्दु निम्नलिखितानुसार रहेंगें :-

1. गत आमसभा की कार्यवाही की पुष्टि पर विचार। 2. समिति की बकाया ऑडिट रिपोर्टों एवं वर्ष 2025-26 के अंतिम लेखों के अनुमोदन पर विचार। 3. वर्ष 2025-26 में प्रबंधकारिणी द्वारा लिये गये निर्णयों की पुष्टि पर विचार। 4. अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की आज्ञानुसार।

आज्ञा से, अध्यक्ष

नोट : कोरम के अभाव में स्थगित आम सभा उसी दिन दोपहर 12:30 बजे उसी स्थान पर पुनः आयोजित की जायेगी जिसमें विचारणीय विषय बिन्दु यथावत रहेंगे।

श्रम न्यायालय संख्या-2 जयपुर

(कमरा नं 306 दूसरी मंजिल, मिनी सचिवालय, बनीपार्क जयपुर)

क्रमांक:521/26 दिनांक-21/10/26

केस न0-एलसीआर/एलसीसी/ईसीसी (एन/एफ) एलसीआर 359/2023

राजेन्द्र सिंह डसीला बनाम जनरल मैनेजर महावीर रबडी भण्डार

नोटिस

1- जनरल मैनेजर, महावीर रबडी भण्डार, अरबन कॉपरेटिव बैंक के पास, टोंक रोड, जयपुर आपको जरिये नोटिस सूचित किया जाता है कि उपरोक्त मुकदमा वास्ते निम्नांकित कार्यवाही हेतु इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 13.11.2026 को नियत किया जाता है। अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप उपरोक्त दिनांक को प्रात 10.00 बजे इस न्यायालय के सुमुक्ष मय दस्तावेज अपने अधिकृत प्रतिनिधि के उपस्थित रहे। अन्यथा आपके विरूद्ध नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

1. स्टेटमेन्ट ऑफ क्लेम
2. जबाब विपक्षी
3. दस्तावेज प्रार्थी/अप्रार्थी
4. साक्ष्य प्रार्थी/विपक्षी
5. सुनवाई/बहस
6. उपस्थित पक्षगण

मोहर अदालत

आदेशानुसार अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, श्रम न्यायालय संख्या-2 जयपुर

नम्बर मिलाइए 8890333139

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

नाम परिवर्तन

मैंने अपना नाम विमला एका विमला बाय विजय कुमार मीना से बदलकर विमला मीना पत्नी विजय कुमार मीना रख लिया है, भविष्य में मुझे विमला मीना के नाम से जाना-पहचाना जाए। उपरोक्त दोनों नाम मेरे स्वयं के ही हैं। निवासी डी-13 कुसुम विहार, Skit रोड़, गली नम्बर-9, जगतपुरा जयपुर।

मैं, नंबर JC-731996L सूबेदार सुभाष चंद, R/o VPO चितौसा, तहसील-बुहाना, जिला- झुंझुनू (राजस्थान)। मेरे सर्विस रिकॉर्ड में मेरी माता का नाम बिमला देवी और जन्मतिथि 05.10.1955 गलत दर्ज हो गई है। आधार और पैन कार्ड जैसे दस्तावेजों के अनुसार, उनका सही नाम बिमला और जन्मतिथि 01.01.1953 है।

खोया पाया

मेरे (सुरेश ओबेरॉय) मकान एच-38-ई, कीर्ती सागर, मांग्यावास, मानसरोवर, जयपुर। जिसका दिनेश शर्मा के नाम से जारी पट्टे (JDA पट्टा नं. 202101016003186) का 10,000- का स्टाम्प पेपर कहीं खो गया है। कृपया मिलने पर सूचित करें-8290004777

मेरे प्लाट संख्या-98, ग्रीन वैली-IV, वाटिका, सांगानेर, जयपुर के मूल आवंटन-पत्र, साईट प्लान रसीद आदी जो हरिनगर गृह निर्माण सहकारी, समिति लि. द्वारा जारी किये गये थे। कहीं गुम हो गये। मिलने पर सूचित करें हनुमान सैनी- 8233135971

मेरी दुकान S-51, दुर्गादास कॉलोनी, वैशाली मार्ग (West), मीनावाला, जयपुर का पट्टा एवं रसीद खो गई है। मिलने पर सूचित करें -51, राजेंद्र नगर, वैशाली नगर जयपुर-7737048899

मेरे मकान 31/66/05, मानसरोवर जयपुर का No Dues letter स्वर्ण पथ पर गिर गए मिलने पर सूचित करें-7742335781

मेरे भूखण्ड सं.47/143, मानसरोवर योजना, राजस्थान आवासन मंडल, जयपुर का मूल आवंटन पत्र (Allotment Letter), पंजीकृत गिफ्ट डीड (Registered Girt Deed) कहीं गुम हो गये हैं, जिसकी F.I.R./L.R. No. 037 दिनाँक 21.10.2026 पुलिस थाना जवाहर नगर जयपुर में दर्ज है। मिलने पर सूचित करें- प्रीति बख्शी मोबाइल 9351288086

शॉप नं- S-7 निजी खातेदारी की योजना A R G PURAM जयपुर का पंजीकृत मूल जे.डी.ए. पट्टा, साईट प्लान और पट्टे के साथ लगे स्टाम्प पेपर कही गुम हो गए है सूचित करे- कृष्ण कुमार गोयल मो.8769425412

शॉप नं- S-42 निजी खातेदारी की योजना A R G PURAM जयपुर का पंजीकृत मूल जे.डी.ए. पट्टा, साईट प्लान और पट्टे के साथ लगे स्टाम्प पेपर कही गुम हो गए है सूचित करे- कृष्ण कुमार गोयल मो.8769425412

प्लाट नं. A-30 निजी खातेदारी की योजना श्री कृष्णा वन विस्तार ग्राम-भोज्यावास भांकरोटा जयपुर का पंजीकृत जे.डी.ए. मूल पट्टा,साईट प्लान एवं पट्टे के साथ लगे स्टाम्प पेपर और पंजीकृत उपहार-पत्र कही गुम हो गया है सूचित करे- भाव्यांश खाण्डल मो.9314159848

मेरे स्वर्गीय पिता श्री विश्वनाथ दीक्षित जी के स्वामित्व के मकान नं. 92, शिव कॉलोनी, हरि मार्ग, टोंक रोड, जयपुर के असल दस्तावेज, जिनमें असल JDA पट्टा, साइड प्लान व अन्य असल दस्तावेज मकान मे से ही गुम हो गये है। मिलने पर सूचित करें। संजीव दीक्षित पुत्र स्व.श्री विश्वनाथ दीक्षित, मो.नं.- 8949657764

मंडावरी पुलिस ने 48 पव्वे अवैध देशी शराब सहित युवक गिरफ्तार

लालसोट(निसं)। पंचायतीराज चुनाव 2026 से पहले अवैध शराब के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने सख्ती तेज कर दी है। मंडावरी थाना पुलिस ने खटवाड़ी रोड पर कार्रवाई करते हुए 48 पव्वे अवैध देशी शराब के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने शराब जब्त कर आरोपी के खिलाफ राजस्थान आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस अधीक्षक दौसा कुंदन कंवरिया के निर्देशन में तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लालसोट विनोद कुमार सीपा और वृत्ताधिकारी लालसोट सत्यनारायण यादव के सुपरविजन में चुनाव के मद्देनजर अवैध शराब की रोकथाम के लिए कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में 21 अक्टूबर को मंडावरी थाना पुलिस की टीम गश्त कर रही थी। इस दौरान खटवाड़ी रोड पर पानी की बावड़ी के पास एक युवक मिला। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से अवैध देशी शराब के 48 पव्वे बरामद हुए।

■ खेडली वाली ढाणी के 21 वर्षीय लोकेश मीना को खटवाड़ी रोड पर पकड़ा, चुनाव के मद्देनजर पुलिस की गश्त के दौरान हुई कार्रवाई

21 वर्षीय युवक गिरफ्तार: पुलिस ने मौके से लोकेश मीना (21), निवासी खेडली वाली ढाणी, थाना लालसोट, जिला दौसा को गिरफ्तार किया। पुलिस ने शराब जब्त कर आरोपी के खिलाफ प्रकरण संख्या 174/2026 में राजस्थान आबकारी अधिनियम की धारा 19/54 के तहत मामला दर्ज किया है। प्रकरण में आगे अनुसंधान जारी है। कार्रवाई मंडावरी थाना अधिकारी जगदीश प्रसाद उनिवाल के नेतृत्व में की गई।

पावटा में गूंजे जय श्रीराम के जयकारे, झांकी के साथ रामलीला सांपन्न

पावटा(निसं)। श्री आदर्श रामलीला मंडल पावटा के तत्वावधान में आयोजित रामलीला का समापन भगवान श्रीराम के राज्याभिषेक की भव्य झांकी के साथ हुआ। रामलीला के अंतिम दिन बुधवार को श्री राम-रावण युद्ध, रावण वध, माता सीता से मिलन और भगवान श्रीराम की अयोध्या वापसी की लीलाओं का सजीव मंचन किया गया। जैसे ही भगवान श्रीराम ने रावण का वध किया, रामलीला मैदान जय श्रीराम के जयकारों से गूंज उठा। पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया और दर्शकों ने जयकारों के साथ धर्म की विजय का उत्सव मनाया। रामलीला के अंतिम प्रसंग में भगवान श्रीराम और रावण के बीच भीषण युद्ध का मंचन किया गया। दोनों ओर से युद्ध की वीरता और पराक्रम का प्रदर्शन हुआ। अंततः भगवान श्रीराम ने रावण का वध कर यह संदेश दिया कि चाहे अधर्म कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में विजय सत्य और धर्म की ही होती है। रावण वध के दृश्य ने दर्शकों में उत्साह भर दिया और मैदान में उपस्थित श्रद्धालुओं ने प्रभु श्रीराम के जयकारे लगाए। रामलीला के दौरान रावण वध के प्रसंग के साथ रावण के अंतिम समय और उसके संदेश को भी प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया। रावण ने अपने ज्ञान, शक्ति और सामर्थ्य के बावजूद अहंकार तथा गलत निर्णयों के कारण हुए पतन का संदेश दिया। इस प्रसंग के माध्यम से दर्शकों को समझाया गया कि ज्ञान और शक्ति का महत्व तभी है, जब उनका उपयोग धर्म, विवेक और मर्यादा के अनुरूप किया जाए। रावण के प्रसंग ने यह सीख दी कि अहंकार मनुष्य के विनाश का कारण बनता है। व्यक्ति कितना भी विद्वान और शक्तिशाली क्यों न हो।

■ अधर्म पर धर्म की विजय का दिया संदेश, श्रीराम-रावण युद्ध और अयोध्या वापसी की लीला ने दर्शकों को भावविभोर किया

मनरेगा मजदूरों को बताया ठगी से बचाव का रास्ता

विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में कानून की पाठशाला लगाई जहां श्रमिक मजदूर को कानूनी जानकारी दी।

किशनगढ़ बास(निसं)। गांव देहात के भोले भाले और कम पढ़े लिखे लोगसाइबर ठगी का शिकार नहीं हो इसके लिए विधिक सेवा प्राधिकरण के पैरा लीगल वॉलंटियर सूरजभान कछवाहा ने गुरुवार को किशनगढ़ बास क्षेत्र के गांव रायपुर मेवान में ऐसे स्थान पर कानून की पाठशाला लगाई जहां पर मनरेगा के तहत 50 श्रमिक मजदूर काम कर रहे थे। कानूनी पाठशाला शिविर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र व्यास के आदेशानुसार तथा सचिव अजीत कूड़ी के मार्गदर्शन में लगाया गया। पैरा लीगल वॉलंटियर सूरजभान कछवाहा ने बताया ग्राम रायपुर मेवान में मनरेगा स्थल पर साइबर अपराध से बचाव को लेकर विशेष विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। यहां पर काम करने वाले 50 मनरेगा श्रमिकों को बताया गया कि मोबाइल पर एक गलत क्लिक कैसे उनकी महीने भर की मजदूरी साफ कर सकता है।

श्रमिकों को बताया गया कि आजकल साइबर ठग गांव-देहात के भोले-भाले और कम पढ़े-लिखे मजदूरों को सबसे ज्यादा निशाना बना रहे हैं। लोन का लालच, लॉटरी का मैसेज, बंद होने का डर और फ्री रिचार्ज का झांसा देकर ठग पूछ लेते हैं और खाता खाली कर देते हैं। इसके लिए शिविर में बताया गया किकिसी भी अनजान व्यक्ति को अपना, बैंक खाता नंबर, आधार या पिन कभी न बताएं।

कार्यालय नगर निगम, भरतपुर

क्रमांक/न.नि.भ./2026-27/16372 दिनांकः 22.10.26

आपत्ति सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम भरतपुर शहरी क्षेत्र में निम्न आवेदकों द्वारा स्टेट ग्रान्ट एक्ट / नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 69ए/स्टेटग्रान्ट का पट्टा चाहने हेतु ऑनलाइन आवेदन कर पत्रावलियों प्राप्त हुई है। यदि इस सम्बन्ध में किसी व्यकिा का कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति सूचना प्रकाशित होने की तिथि से 7 दिवस के अन्दर गय साक्ष्य प्रस्तुत करें। बाद अवधि के किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा तथा बाद समस्त जाँच के आवेदक को स्टेट ग्रान्ट एक्ट / नगर पालिका अधिनियम 2009 की चारा ए के तहत / कच्ची बस्ती के तहत पट्टा जारी किये जाने की अग्रिम कार्यवाही कर दी जावेगी।

क्र. सं.	फाइल नं.	आवेदक का नाम	पिता का नाम	वार्ड नं.	पता का प्रकार	पत्रावली
1	475845	राजवीर सिंह	राम सिंह	36	चौधरी सदन नगक कटरा, भरतपुर	स्टेट ग्रान्ट
2	475872	रहीसा	साबिर हुसैन		अनाह गेट, भरतपुर	स्टेट ग्रान्ट
3	475884	प्रेमा	विनोद	32	शिवा टॉकीज के पीछे, सहयोग नगर, भरतपुर	स्टेट ग्रान्ट
4	475955	राजकुमार	जगदीश प्रसाद	22	गुरुमीत स्कूल के पास, बीनारायणगेट, भरतपुर	स्टेट ग्रान्ट
5	475964	अनिल कुमार, कल्पना अग्रवाल	रामबाबू, अनिल कुमार	22	तोप मौहल्ला, अटलबंध, भरतपुर	स्टेट ग्रान्ट
6	476044	जरिये ओमप्रकाश	प्रिंसीपल शहीद सूबेदार खिलौना सिंह जीएसस तुहिया, भरतपुर	65	शहीद सूबेदार खिलौना सिंह जीएसस तुहिया, भरतपुर	69 ए
7	476069	नरेन्द्र सिंह	सुरेन्द्र सिंह	39	मोहन जी मंदिर के पीछे, बुद्ध की हाट, भरतपुर	स्टेट ग्रान्ट
8	476364	खेमचन्द	सोहन लाल	34	कोली मौहल्ला, भरतपुर	स्टेट ग्रान्ट
9	476368	मनीषा जैन	गोपाल जैन	23	अनाहगेट बजरिया, भरतपुर	स्टेट ग्रान्ट
10	476375	महाराज सिंह	हरीसिंह	14	नगला झीलरा, भरतपुर	स्टेट ग्रान्ट
11	476383	समुन्दर सिंह	हरी सिंह	14	नगला झीलरा, भरतपुर	स्टेट ग्रान्ट
12	476716	हीरो, सुमन	कन्नोराम, हीरो	20	रूपराम का कुण्डा, भरतपुर	स्टेट ग्रान्ट
13	476742	श्रुति कुमार	जवाहर सिंह		अग्रवाल धर्मशाला के पास, मोरीचार बाग, भरतपुर	स्टेट ग्रान्ट
14	476770	रज्जो	रामफल	46	नगला गोपाल, भरतपुर	स्टेट ग्रान्ट
15	474360	ओमप्रकाश गुप्ता	रामजीलाल	32	सहयोग नगर, भरतपुर	69 ए
16	476878	लेखराज	हुकमी	13	नगला बरसो, हीरादास, भरतपुर	स्टेट ग्रान्ट
17	476920	रागस्ती	कुमरपाल	1	भाडोर खुर्द, भरतपुर	स्टेट ग्रान्ट
18	476942	भूदेव प्रसाद शर्मा	सुरेश चन्द	1	भांडोर खुर्द, भरतपुर	स्टेट ग्रान्ट
19	476955	बासमती	रामश्वरप्रकाश	1	भांडोर खुर्द, भतरपुर	स्टेट ग्रान्ट
20	476965	विजेन्द्र	कुमरपाल	1	भाडोर खुर्द भरतपुर	स्टेट ग्रान्ट
21	476985	नत्था सिंह	अमीरी लाल	28	आईस फैक्ट्री के पास, गौहल्ला गोपालगढ़, भरतपुर	स्टेट ग्रान्ट
22	477720	गोपाल प्रसाद शर्मा	रामबाबू शर्मा	37	घास की मण्डी, पुरोहित मौहल्ला, भरतपुर	स्टेट ग्रान्ट
23	477010	ओमप्रकाश	कुमरपाल	1	भांडोर खुर्द, भरतपुर	स्टेट ग्रान्ट
24	477035	देवी सिह	मोहनलाल	50	पक्का बाग, भरतपुर	स्टेट ग्रान्ट
25	477036	मगल सिंह	लक्ष्मन सिंह	50	पक्का बाग, भरतपुर	स्टेट ग्रान्ट
26	477039	अनिल कुमार, इन्द्रा	बाबूलाल,	32	मथुरागेट, भरतपुर	स्टेट ग्रान्ट
27	477470	रातीश चन्द गोयल	बाबूलाल गोयल	25	खेरापति मोहल्